न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2013 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री कान्तीलाल पिता धूलजी बलाई निवासी जोगपुर हाल सागवाड़ा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी सागवाड़ा तहसील सागवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर डूंगरपुर दि0 12–12–2011
प्रकरण संख्या 03/2009

––––/––––

उपस्थित :–1– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय अधिवक्ता

––––/––––

आदेश **दिनांक 29–08–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागवाड़ा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 578/2007 निर्णय दिनांक 27–9–2007 से अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आदेश पारित करते हुए उसे ग्राम सागवाड़ा की आराजी नंबर 3506 किस्म बिलानाम पाल में .01 बिस्वा भूमि पर मकान/परकोटे के अतिक्रमण को बेदखल करने एवं शास्ति का आदेश पारित किया। प्रकरण संख्या 578/2007 की प्रथम अपील जिला कलक्टर डूंगरपुर के यहां किये जाने पर प्रथम अपील संख्या 7/2007 में जिला कलक्टर डूंगरपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–7–2008 से तहसीलदार सागवाड़ा का निर्णय अपास्त करते हुए अपीलान्ट के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर उसके नियमन की पात्रता होने पर प्रकरण अपनी

टिप्पणी के साथ आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का प्रतिप्रेषण निर्देश दिया।

प्रथम अपील 7/2007 के निर्णय के क्रम में तहसीलदार सागवाड़ा के यहां पुनः प्रकरण संख्या 665/2008 के रूप में दर्ज हुआ तथा अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये जवाब के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। तहसीलदार सागवाड़ा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 665/2008 में निर्णय दिनांक 16–2–2009 से पुनः अतिक्रमण हटाने व शास्ती का निर्णय पारित किया।

तहसीलदार सागवाड़ा के प्रकरण संख्या 665/2008 निर्णय दिनांक 16–2–2009 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर डूंगरपुर के यहां 3/2009 के रूप में दर्ज की गई, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–12–2011 से अपील खारिज की गई।

विचाराधीन द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 3/2009 निर्णय दिनांक 12–12–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26–10–2012 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाप्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपील सारवान है तथा यदि मयाद बाहर मानी गई, तो वह न्याय से वंचित हो जायेगा। वह अनुसूचित जाति का अशिक्षित काश्तकार तथा मजदूर है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने भूल से उसे निर्णय की सूचना नहीं दी। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। न्यायति व अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रृवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट प्रमुख अपील उजर यह है कि अपीलान्ट का अतिक्रमण उसके खाते की जमीन के सामने है। 1 बिस्वा पर मकान के रूप

में है। भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा करना चाहते है। 40 साल पुराने खाते के पास अपीलान्ट का 40 वर्ष पुराना कब्जा है। भूमि पेरीफेरी में आने पर भी नियमन के प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा द्वारा कई प्रकरणों में 12 साल से पुराने अतिक्रमण को नियमन करने के आदेश दिये है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि यह अतिक्रमण 40 वर्ष पुराना होने की काई साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा बावजूद अवसर किसी न्यायालय में पेश नहीं की है। भूमियां पेरीफेरी क्षेत्र की होकर नियमानुसार नियमन निषिद्ध है। नियम निषिद्ध भूमि का नियमन विधिक रूप से नही ंहो पाने के कारण तहसीलदार तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12–12–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29–08–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) बनाम **मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी** .... **मावली** ... मुकाम मुर्ख्खे.............**27**..........माह..............**11**........... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**16**..... माह ......**08**.......... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी.......... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**16**...... माह ...**08**........ **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।